संख्या- 79/919/84-1-13-1418/08

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 29 अक्टूबर, 2013

विषय- प्रोन्नत वेतनमान का निर्धारण वर्ष 2005 के स्थान पर वर्ष 2000 से किये जाने के संबंध में श्री प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक (सेवानिवृत्त) विधिक माप विज्ञान की अपील दिनॉक 08-02-2013 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-325/निविमावि-सू0अ0/13, दिनॉक 04 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

(1) श्री प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक, विधिक माप विज्ञान को वर्ष 1998-99 में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि से संबंधित आदेश की प्रति।

(2) क्या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत श्री प्रताप सिंह के विरूद्व कार्यवाही हुई थी

(3) जब श्री कन्हैया लाल, वरिष्ठ सहायक, विधिक माप विज्ञान की वर्ष 1997-98 (दि0 15-12-97 से 31-3-98) में हुई विभागीय कार्यवाही में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध होते हुए उन्हें दिनॉक 22-3-2000 से प्रोन्नत वेतनमान किस आधार पर स्वीकृत किया गया है, से संबंधित सुस्पष्ट तथ्यात्मक आख्या संगत अभिलेख सहित उपलब्ध कराये जांय। यह भी स्पष्ट किया जाय कि समान स्थिति के होते हुए भी श्री प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक को वर्ष 2000 से प्रोन्नत वेतनमान क्यों नहीं प्रदान किया गया भिन्नात्मक निर्णय का आधार सकारण स्पष्ट किया जाय।

(4) प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2000 से प्रदान किये जाने हेतु श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील किन नियमों के तहत पोषणीय है संगत नियम की प्रति उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in